— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम रास्ता बावत

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री संजय चाण्डक — प्रार्थी
3. राज पैरोकार — अप्रार्थी सं. 3

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 09/04/2026

प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध **अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम रास्ता बावत** प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि—यह कि प्रार्थीगण का रजिस्टर्ड पता प्रार्थना—पत्र के मुख्य पृष्ठ पर जो दर्ज है, वही माना जावे। यह कि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या— 1 व 2 के नाम से राजस्व तहसील पीलीबंगा के चक 10 एस.टी.वी. के संयुक्त खाता संख्या नया— 164 के प0नं0 39/355 मु.न. 59 किला न. 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/3/0.147, 17/0.253, 18/0.253, 19/0.253, 20/1/0.228 है0 कुल 1.387 है० कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि अपने—अपने हिस्सानुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अपने कथन की पुष्टि में प्रमाणित नकल जमाबन्दी चक 10 एस.टी. वी. खाता संख्या— 164 सम्वत 2074—2077 इस प्रार्थना—पत्र के साथ बतौर साक्ष्य प्रस्तुत है ।

यह कि प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपने दर्ज हिस्सानुसार कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से शान्तिपूर्वक ढ़ंग से काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के धारण में प0नं0 39/355 [59] के कि0नं0 16/3, 17, 18, 19 की कृषि भूमि है।

यह कि प्रार्थीगण के धारण के उक्त खातेदारी रकबे के समीपवर्ती ही पश्चिम दिशा की तरफ पत्थर नम्बर 39 / 355 [59], के कि0नं0 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में से 0.025 है० भूमि

उतर दिशा से दक्षिण दिशा में मोके पर रास्ता हेतु स्वीकृत है एंव मोके पर चालु भी है। अपने उक्त कथनों की पुष्टि में नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

यह कि प्रार्थीगण को अपने धारण की चक 10 एस.टी.बी. के खाता संख्या– 164 के प0नं0 39/355 [59], के कि0नं0 16/3, 17, 18, 19 में स्थित खातेदारी रकबे तक आने जाने एंव कृषि साधनों के पहुंचने हेतू कोई रास्ता मोके पर स्वीकृत नहीं है।

यह कि प्रार्थीगण को अपने धारण के उक्त खातेदारी रकबे में पहुंचने के लिए एंव ट्रेक्टर ट्राली लाने ले जाने के लिए प0नं0 39/355 [59] के कि0नं0 20 में से खकि0नं0 21 के चिपते हुए , पूर्व से पश्चिम दिशा के 0.025 है० रकबे से होते हुए आवागमन करना पड रहा है। अपने धारण के खातेदारी रकबे तक स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं होने से प्रार्थीगण को मोके पर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थीगण को नया रास्ता स्वीकृत करवाने की आवश्यकता हुई है।

यह कि प्रार्थीगण को मजुंरशूदा मार्ग से अपने खातेदारी रकबे तक पहुंचने के लिए चक 10 एस.टी.बी. के प0नं0 39/355 [59], के कि0नं0 20 में से 0.025 है० भूमि कि०नं० 21 से चिपते हुए , पश्चिम–पूर्व दिशा की तरफ से रास्ता हेतु भूमि की आवश्यकता है। ताकि प्रार्थीगण अपने भौतिक कब्जा काश्त के रकबे तक आसानी से आवागमन कर सके। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प भी नहीं है।

यह कि प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गए अनुतोष को स्वीकृत किए जाने की ऐवज में श्रीमान न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थीगण रास्ता हेतु स्वीकृत कृषि भूमि के बदले नियमानुसार डी. एल.सी. की दुगनी राशि अथवा भूमि के बदले भूमि जो भी न्यायालय निश्चित करे, प्रार्थीगण देने हेतु सहमत है

यह कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र काबिल समाअत अदालतवाला है जो उचीत कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण को मजुंरशुदा मार्ग से अपने खातेदारी रकबे तक पहुंचने के लिए चक 10 एस.टी.बी. के प0नं0 39/355 [59] के कि0नं0 20 में 0.025 है० भूमि पश्चिम–पूर्व दिशा की तरफ खकि०नं० 21 से चिपते हुए , रास्ता हेतु स्वीकार फरमाई जावे। ताकि प्रार्थीगण अपने भोतिक कब्जा काश्त के रकबे तक आसानी से आवागमन कर सके। उक्त कृषि भूमि को सार्वजनिक रास्ता हेतु स्वीकार फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 बाद तामिल हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही जारी की गई है।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार –चक 10 एसटीबी के खाता संख्या 164/15 में प.नं. 39/355 मु.नं. 59 कि.नं. 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/3/0.147, 17 ता 19, 20/1/0.228 कुल 1.387 हैक्ट. भूमि संयुक्त खाते में जंगीर सिंह पुत्र सतनाम सिंह 1422/6935, मंगल सिंह पुत्र सतनाम सिंह 359/1387, माया देवी पत्नी सतनाम सिंह 1289/6935 जाति रायसिख साकिन 10 एसटीबी, राकेश कुमार पुत्र वेदप्रकाश 911/6935, वेदप्रकाश पुत्र हरीराम 1518/6935 जाति जाट साकिन 2 एनएम ठाकरूवाला दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रकबा को प.नं. 38/355 मु. नं. 59 के कि.नं. 5, 10, 11, 20, 21 के प्रत्येक में गै०मु० रास्ता 0.025 हैक्ट. दर्ज रिकॉर्ड है। अतः कि.नं. 20 में गै०मु० रास्ता दर्ज है जो संयुक्त खाते की भूमि को लगता है। अन्य रास्ता विभाजन उपरान्त ही दिया जाना उचित होगा।

3

आदेश

अधिवक्ता बहस पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया कि चाहा गया रास्ता कम दूरी का रास्ता है स्वीकृत किया जावे। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मौका स्थिति की रिपोर्ट का गहन अवलोकन किया गया।

तहसीलदार पीलीबंगा से प्रकरण में दो बार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जा चुकि है तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत रकबा चक 10 एसटीबी के खाता संख्या 164/15 में प.नं. 39/355 मु.नं. 59 कि.नं. 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/3/0.147, 17 ता 19, 20/1/0.228 कुल 1.387 हैक्ट. भूमि संयुक्त खाते की भूमि है जिसमें पूर्व से ही प.नं. 38/355 मु.नं. 59 के कि.नं. 5, 10, 11, 20, 21 के प्रत्येक में गै०मु० रास्ता 0.025 हैक्ट. दर्ज रिकॉर्ड है। अतः कि.नं. 20 में गै०मु० रास्ता दर्ज है जो संयुक्त खाते की भूमि को लगता है। अन्य रास्ता विभाजन उपरान्त ही दिया जाना उचित होगा। हमारे द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर मनन किया जाकर प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम इस लिए स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि तहसीलदार पीलीबंगा अनुसार पूर्व में प्रश्नगत रकबा को संयुक्त खाता की भूमि को रास्ता लगता है तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी केवल सुविधाजनक रास्ता हेतु प्रस्तुत किया गया है जो कि अत्यांतिक श्रेणी का नहीं होकर केवल सुविधा के लिए प्रस्तुत किया गया है इस लिए काबिले खारिज होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।**

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 09/04/26 सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंग